भारत-इक्वाडोर के बीच व्यापार व टेक्नोलॉजी पर जोर

एस. जयशंकर और गैब्रिएला सोमरफेल्ड ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर की चर्चा

नई दिल्ली, 29 अप्रैल. भारत और इक्वाडोर के बीच संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से बुधवार को नई दिल्ली में एक अहम कूटनीतिक बैठक आयोजित हुई. इस बैठक में एस. जयशंकर और गैब्रिएला सोमरफेल्ड ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की.

दोनों नेताओं ने व्यापार, कृषि, स्वास्थ्य, डिजिटल क्षेत्र और क्षमता निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया।बैठक के दौरान यह सहमति बनी कि भारत और इक्वाडोर न केवल द्विपक्षीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी मिलकर काम करेंगे। वैश्विक चुनौतियों से

निपटने के लिए साझा दृष्टिकोण अपनाने पर भी दोनों पक्षों ने सहमति जताई।इस मौके पर भारत ने इक्वाडोर के इंटरनेशनल सोलर एलाइंस इंटरनेशनल बीग कॉट एलाइंस से जुड़ने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्णय का स्वागत किया, जिसे पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इसके अलावा, बैठक में 'क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स' के लिए फंडिंग पर भी सहमति बनी, जिससे दोनों देशों के बीच विकास सहयोग को और गति मिलेगी। यह पहल विशेष रूप से स्थानीय स्तर पर विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने में सहायक साबित होगी।इक्वाडोर की विदेश मंत्री गैब्रिएला सोमरफेल्ड तीन दिन के भारत दौरे पर हैं. इस दौरान वह राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगी।

सैन्य साझेदारी बढ़ाने पर भारत-अमेरिका में सहमति

नई दिल्ली, 29 अप्रैल. भारत और अमेरिका ने रक्षा संबंधों को और मजबूत करने तथा क्षेत्रीय स्थिरता, उन्नत क्षमता विकास और प्रगाढ़ सैन्य सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है. सेना ने बुधवार को बताया कि भारतङ्कअमेरिका सैन्य साझेदारी को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने पिछले सप्ताह अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन का दौरा किया। चार दिन की यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने दोनों सेनाओं के बीच रणनीतिक सहयोग को और सुदृढ़ करने पर सार्थक चर्चा की. जनरल द्विवेदी ने अमेरिका के सेना सचिव डेनियल पी. ड्रिस्कॉल के साथ बातचीत की। साथ ही उन्होंने अमेरिकी सेना के कार्यवाहक स्टाफ प्रमुख जनरल क्रिस्टोफर ला नेव से भी मुलाकात की.

लखनऊ से शिक्षा की क्रांति शुरू: रामदेव

भारतीय शिक्षा बोर्ड लखनऊ कार्यालय का भव्य उद्घाटन

हरिद्वार/लखनऊ, 29 अप्रैल. भारतीय शिक्षा बोर्ड के प्रांतीय कार्यालय का दिव्य उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री माध्यमिक शिक्षा गुलाब देवी, स्वामी रामदेव, अतिथि डॉ एनपी सिंह सहित संतों के सानिध्य में दीप प्रज्वलित करके किया गया. प्रांतीय कार्यालय क्रिश्चयन कॉलेज लखनऊ के प्रांगण में खुला है.

इस अवसर पर सानिध्य दे रहे स्वामी रामदेव ने कहा कि जिस तरह से योग क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक उसी तरह उत्तरप्रदेश की लखनऊ की इस धरा से शिक्षा की क्रांति की शुरुआत होने जा रही है. जिसके मूल में भारतीय शिक्षा बोर्ड है. उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड से पढ़ने वाला कोई बच्चा आतंकवादी और व्यवभाचारी नहीं बनेगा.

शिक्षा संवाद के दौरान मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि अंग्रेजी स्कूलों में जो शिक्षा दी जा रही है, वह दिशाहीन हो चुकी हैं. उन्होंने कहा कि स्वामी रामदेव ने भारतीय शिक्षा बोर्ड के तहत जो बीड़ा उठाया है, वह निश्चित तौर पर बच्चों के चरित्र निर्माण करेगा.

धर्म की मूल भावना से छेड़छाड़ न हो: सुप्रीम कोर्ट

सबरीमाला मामले में आस्था बनाम अधिकार पर सवाल
महिलाओं का मंदिर प्रवेश और धार्मिक स्वतंत्रता

नई दिल्ली, 29 अप्रैल. सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मामले में सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी की है कि धर्म की मूल भावना से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। अदालत ने सवाल उठाया कि उत्तर भारत के किसी गैर-आस्थावान व्यक्ति को किस आधार पर मंदिर में प्रवेश का अधिकार प्राप्त हो सकता है.

नौ जजों की संविधान पीठ ने जोर देकर कहा कि धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों में आस्था का पहलू भी अहम है।सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट का 2018 का

फैसला अब भी प्रभावी है, लेकिन महिलाओं को मंदिर में प्रवेश में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि अदालत धर्म की परिभाषा तय नहीं करती, बल्कि यह धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं का विषय है.

जयसिंह ने महिलाओं के 10-50 वर्ष आयु समूह में प्रवेश पर रोक को उनके महत्वपूर्ण जीवन अधिकारों से वंचित करना बताया. कोर्ट ने टिप्पणी की कि महिला को उनके सामाजिक वर्ग के आधार पर नहीं, बल्कि आयु समूह के अनुसार रोका गया था. न्यायपालिका ने कहा कि भारत की विविधता ही उसकी ताकत है और अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक संप्रदायों को अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार भी है.

अदालत ने यह भी माना कि किसी धार्मिक प्रथा को आवश्यक या गैर-आवश्यक घोषित करना न्यायालय का कार्य नहीं, बल्कि यह परंपरा और समाज का विषय है।सुप्रीम कोर्ट की यह सुनवाई धर्म, आस्था और संविधान के बीच संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है.

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सामाजिक सुधार के नाम पर धार्मिक प्रथाओं को कमजोर नहीं किया जा सकता। यह मामला देशभर में धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और महिलाओं के अधिकारों के बीच संवेदनशील संतुलन पर बहस को और गहरा कर रहा है.

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 501, सालकॉन ऑरम, जसोला जिला केंद्र, नई दिल्ली - 110025
CIN: U65900DL2020PLC366027

कब्जे की सूचना (अचल संपत्ति के लिए) नियम 8(1)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक Er. शिवालिक मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी हैं ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के साथ नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 20-02-2026 को संख्या 103041547255 के लिए एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को तलब किया गया: 1. श्री राहुल पुत्र श्री करण सिंह (ऋणकर्ता) अलारी रोड, बोरबधाकड़, उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456770; 2. श्रीमती नितिका बाई पत्नी श्री राहुल (सह-ऋणकर्ता/बंधककर्ता) 98, ग्राम बोरबधाकड़, उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456770; 3. श्री करण सिंह पुत्र श्री रतन सिंह (सह-ऋणकर्ता) अलारी रोड, बोरबधाकड़, उज्जैन, मध्य प्रदेश। 456770, 4. श्रीमती पार्वती बाई पत्नी करण सिंह (सह-उधारकर्ता) अलारी रोड, बोरबाधाकड़, उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456770, 5. श्री सुनील पुत्र श्री करण सिंह (सह-उधारकर्ता) अलारी रोड, बोरबाधाकड़, उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456770 उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर। ऋणकर्ता द्वारा राशि का पुनर्भुगतान न कर पाने के कारण, ऋणकर्ता(ओं) और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 28 अप्रैल, 2026 को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। ऋणकर्ता(ओं) को विशेष रूप से और आम जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के रू. 7,00,000/- (सात लाख मात्र) और उस पर ब्याज के प्रभार के अधीन होगा।

ऋणकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय का उल्लेख है।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति पर समतुल्य बंधक:
संपत्ति पर समतुल्य बंधक: आवासीय संपत्ति, क्षेत्रफल 1400 वर्गफुट, 130.06 वर्ग मीटर, भवन, पीएच नं.52 (सिराल सं.2559), मकान सं.98, ग्राम बोरबधाकड़, ग्राम पंचायत बोरबधाकड़, तहसील ताराना, जिला उज्जैन, म.प्र.। राजस्व अभिलेखों में ई-पंजीकरण संख्या MP432022023A-12276080, दिनांक 18-08-2023, श्रीमती नितिका बाई पत्नी श्री राहुल के नाम पर पंजीकृत।

सीमाएँ:

पूर्व	अमर सिंह का घर	पश्चिम	निर्भय सिंह का घर
उत्तर	स्वयं भूमि	दक्षिण	गली

दिनांक: 28.04.2026
स्थान: नोएडा
Sd/- प्राधिकृत अधिकारी
शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्सः +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया।है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	24420344	संपत्ति के बदले ऋण	18.03.2026	9,02,689.48/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं के नामः 1. राकेश रामेश्वर (स्वर्गीय विनोद मोरोलिया के उपलब्ध उत्तराधिकारी के रूप में)

संपत्ति का पताः 875 वर्ग फुट या 81.290 वर्ग मीटर (पूर्व-पश्चिमः 35 फुट और उत्तर-दक्षिणः 25 फुट) क्षेत्रफल वाली संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा, जो सर्वेक्षण संख्या 383/2/6 और 383/3/4 का हिस्सा है, संजय जलश्य रोड, बजरंग नगर, ग्रामः पीथमपुर, विकास खंड नलछा, पीएच नं. 61, तहसील और जिलाः धार, मध्य प्रदेश-454575 में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः रास्ता, पश्चिमः इस सर्वेक्षण संख्या की शेष भूमि, उत्तरः रास्ता, दक्षिणः भारत का प्लॉट।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक: 30.04.2026
स्थान: मध्यप्रदेश
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

अपने व्यापार को दें नई ऊंचाइयां 'नवभारत' में विज्ञापन के माध्यम से

पश्चिम रेलवे - रतलाम मण्डल

ई-निविदा सूचना

Tender Notice No. M247GLRSRSI 262707 Dated: 27.04.2026. कार्य का नाम: सिलिकॉन रेक्टिफायर ब्लॉक (RSI) का रिपेयर / रिहेबिलिटेशन तथा रिकंडिशनिंग, मात्रा - 30 लोको सेट **स्थान:** मु.का.प्र./दाहोद प. रेलवे कार्यालय **कार्य की अनुमानित लागत:** Rs. 4,00,77,000/- **बयाना राशि:** Rs. 8,01,600/- **ई-निविदा जमा करने तथा खुलने की दिनांक तथा समय:** ई-निविदा जमा करने की नियत दिनांक तथा समय 19-05-2026 को 14:30 बजे तक तथा ई-निविदा उसी दिन 15:00 बजे खोली जायेगी । **निविदा सूचना तथा प्रपत्र उपलब्धता: www.ireps.gov.in / E-Tenders / Works / IR Electrical.**

Apex/26

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर

विद्युत विभाग

E-mail: imcvidhyutvibhag@gmail.com

विज्ञप्ति क्र.: 08/26-27/
ई-टेंडर C.E/E&M

निविदा सूचना

दिनांक: 27/04/2026

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों/ फर्मों से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in/ पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेंडर क्र. जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं ई.एम.डी.	निविदा की अंतिम तिथि
1	2026-UAD-503518 27-04-2026	इन्दौर शहर के अंतर्गत पूर्व से स्थापित परम्परागत लाईटों एवं रिक्त विद्युत पोलो पर नवीन एल.ई.डी. फिटिंग स्थापना हेतु क्रय करने संबंधी कार्य।	06 माह	₹2,88,70,000/-	26-05-2026 5:30 P.M.

निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन https://mptenders.gov.in/ की वेबसाइट पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

प्रतिबंधित पॉलिथीन, कैरीबैग के निर्माण/ विक्रय/ उपयोग करने पर दंड व सजा का प्रावधान है।

नगर शिल्पज्ञ
नगर पालिक निगम, इन्दौर

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री मनमोहन पिता श्री श्यामसुंदर जी मूंदड़ा के स्वामित्व एवं आधिपत्य की संपत्ति मू. हाउस क्रमांक 50 ओल्ड क्र. नं. 61 एवं 45 कमाठीपुरा इंदौर पर स्थित है। मुलतः सदर संपत्ति श्री केशरीलाल पिता श्री बैजनाथजी जायसवाल द्वारा क्रय कर प्राप्त की गई थी। तत्पश्चात उनका उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शारदाबाई जायसवाल पति केशरीलाल जायसवाल एवं उनके पुत्र श्री नंदकिशोर जायसवाल पिता श्री केशरीलाल जायसवाल का स्वर्गवास होकर उक्त संपत्ति 1. श्रीमती कृष्णाबाई जायसवाल पति स्व. श्री नंदकिशोर जायसवाल, 2. श्री गोपाल पिता स्व. श्री नंदकिशोर जायसवाल, 3. श्री महेश जायसवाल पिता स्व. श्री केशरीलाल जायसवाल, 4. श्री ओमप्रकाश जायसवाल पिता स्व. श्री कैशरीलाल जायसवाल, 5. श्री हरिशंकर जायसवाल पिता स्व. श्री कैशरीलाल जायसवाल, 6. श्रीमती शकुंतला जायसवाल पिता स्व. श्री कैशरीलाल जायसवाल, 7. श्री सुरेश जायसवाल पिता स्व. श्री कैशरीलाल जायसवाल को उनके वारिस नाते प्राप्त हुई है, तत्पश्चात इनके द्वारा सदर संपत्ति को उपरोक्त स्वामी को विक्रय कर दी गई है। सदर संपत्ति को उपरोक्त स्वामियों द्वारा मेरे क्रेता पक्षकार को विक्रय करने हेतु अनुबंध किया होकर क्रेता द्वारा सदर संपत्ति को मेरी पक्षकार भारतीय स्टेट बैंक के समक्ष बंधक रखकर ऋण प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है। अतः सदर संपत्ति एवं वारिस बाबद किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक, वित्तीय संस्था, शासकीय एवं अर्द्धशासकीय विभाग आदि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति या उजर हो तो इस जाहिर सूचना के प्रकाशन दिनांक से 7 (सात) दिवस की अवधि में मय लेखी दस्तावेजों प्रमाण हमें सूचित करें अन्यथा बाद मियाद कोई भी आपत्ति मान्य योग्य नहीं होगी।

आर. सी. बडजात्या, हाईकोर्ट ऐडवोकेट
फ्लेट न 1 स्टेट बैंक अभिलाषा सोसायटी, 23/2 मनोरमागंज, इंदौर (म.प्र.) मो. न. 9425052001

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 501, सैलकॉन ऑरम, जसोला जिला केंद्र, नई दिल्ली - 110025, सीआईएनः U65900DL2020PLC366027

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता, जिन्होंने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (जिसका प्रधान कार्यालय तीसरी मंजिल, एडीडी इंडिया टावर, सेक्टर 125, नोएडा-201303 में स्थित है) से ऋण लिया है, अपने ऋण का ब्याज चुकाने में विफल रहे हैं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उनके ऋण खातों को निष्पादित (एनपीए) घोषित कर दिया गया है। उधारकर्ताओं ने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को अचल संपत्तियों की जमानत दी है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। ऋण का विवरण और उधारकर्ताओं द्वारा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को देय बकाया राशि का विवरण नीचे दिया गया है।

ऋण लेने वाले/सह-ऋण लेने वाले और आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का अधिकृत अधिकारी, जो एक सुरक्षित ऋणदाता है, ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI अधिनियम) के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित ऋण लेने वाले/सह-ऋण लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। यदि निम्नलिखित ऋण लेने वाले इस सूचना की तिथि से 60 (साठ) दिनों के भीतर अपने नाम के आगे दर्शाई गई बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो मैं SARFAESI अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के तहत सुरक्षित ऋणदाता को प्रदत्त एक या अधिक शक्तियों का प्रयोग करूंगा, जिसमें संपत्तियों पर कब्जा करने और उन्हें बेचने की शक्ति भी शामिल है। आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे नीचे वर्णित संपत्ति से संबंधित कोई लेन-देन न करें।

ऋण लेने वाले/गारंटर एवं बंधककर्ता का नाम	सुरक्षित परिसंपत्तियों/संपत्ति का विवरण
1. श्री नयन माली पुत्र श्री रामनिवास माली (उधारकर्ता) 192, वार्ड नंबर 1, ग्राम नई आबादी लादूना, तह. सीतामऊ जिला. मंदसौर, मध्य प्रदेश, 458389, 2. श्रीमती कुसुम माली पत्नी श्री नयन माली (सह-उधारकर्ता) मकान नंबर एन/22/2, वार्ड नंबर 3, ग्राम नई आबादी लादुना, तह। सीतामऊ, जिला. मंदसौर, मध्य प्रदेश, 458389, 3. श्री हरीश माली पुत्र श्री रामनिवास माली (सह-उधारकर्ता) वार्ड क्रमांक 1, ग्राम नई आबादी लादुना, तह. सीतामऊ जिला. मंदसौर, मध्य प्रदेश, 458389, 4. श्री रामनिवाश माली पुत्र श्री मांगीलाल माली (सह-उधारकर्ता) 21, वार्ड/पी/हे. क्रमांक 24, ग्राम नई आबादी लादुना, तह. सीतामऊ, जिला. मंदसौर, मध्य प्रदेश, 458389, 5. श्रीमती संतोष बाई पत्नी श्री रामनिवाश माली (सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता) वार्ड क्रमांक 1, ग्राम नई आबादी लादुना, तह. सीतामऊ जिला. मंदसौर, मध्य प्रदेश, 458389	संपत्ति पर समतुल्य बंधकः 900 वर्ग फुट (83.64 वर्ग मीटर) क्षेत्रफल वाली आवासीय संपत्ति, वार्ड संख्या 1, ग्राम नई आबादी लादुना, तहसील सीतामऊ, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में स्थित है। उप-पंजीयक कार्यालय में क्रमांक MP249412024A1904299, दिनांक 15-07-2024 को पंजीकृत। श्रीमती संतोष बाई पत्नी श्री रामनिवाश माली के नाम पर। सीमाएँ: पूर्वः लादुना सीतामऊ रोड, पश्चिमः स्थानीय मार्ग, उत्तरः जैन प्रकाश का घर, दक्षिणः राधेश्याम का घर
एनपीए दिनांक : 05.04.2026	

ऋण खाता संख्या, मांग सूचना की तिथि और राशि ऋण खाता संख्या 103041545680, मांग सूचना दिनांकः 28-04-2026, बकाया राशिः 2,15,000/- (दो लाख पंद्रह हजार) 27-04-2026 तक

दिनांकः 28.04.2026, स्थानः नोएडा
अधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

सीएम भगवंत मान को 1 मई का अल्टीमेटम

मनसा, 29 अप्रैल. मानसा की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजिंदर सिंह नागपाल ने बुधवार को स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान अक्टूबर 2022 के बाद से अदालत में पेश नहीं हुए हैं. अक्टूबर 2022 में ही बेल बॉन्ड भरने के बाद उन्हें जमानत दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद लगातार गैरहाजिरी से मामला लंबित है। मंगलवार को भगवंत मान के वकील ने चंडीगढ़ में एक महत्वपूर्ण बैठक का हवाला देते हुए छूट की अर्जी दी. अदालत ने इसे केवल आज के लिए मंजूर किया, लेकिन अगले दिन यानी 1 मई को उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य कर दी. अदालत ने साफ किया कि अगर अगली सुनवाई में भी वे पेश नहीं होते हैं, तो जमानत रद्द कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फ़ायनांस कम्पनी लिमिटेड

Chola Enter a better life

कॉरपोरेट कार्यालयः ''चोला क्रेस्ट'', सी54 & 55, सुपर बी-4, थिरु वी का औद्योगिक एस्टेट, गिण्डी, चेन्नई - 600032

अचल संपत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, जो प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित है (नियम 8 एवं 9), के अंतर्गत अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।

सामान्य जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / बंधककर्ता(ओं) को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियाँ, जो सुरक्षित लेनदार को बंधक की गई हैं एवं जिनका **भौतिक कब्जा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, जिसे इसके पश्चात चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के रूप में संदर्भित किया जाएगा, को ई-नीलामी के माध्यम से **''जैसा है जहाँ है''**, **''जैसा है वैसा है''** एवं **''जो भी है''** के आधार पर विक्रय किया जाएगा।
सामान्य जनता को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि हम इस सार्वजनिक ई-नीलामी का आयोजन वेबसाइट : **https://bankauctions.in/** के माध्यम से करने जा रहे हैं।

खाता संख्या एवं उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, बंधककर्ताओं के नाम	माँग सूचना दिनांक एवं बकाया राशि	अचल संपत्ति (सुरक्षित आस्ति) का विवरण	आरक्षित मूल्य/ईएमडी / बोली वृद्धि राशि
ऋण खाता सं. TL01IND00000039071 **1. मे. अथर्व प्रीमियम ग्रेन्स प्राइवेट लिमिटेड, (उधारकर्ता)** संख्या 18, कृषि उपज मंडी, संख्या 02, मक्सी रोड, देवास, मध्य प्रदेश - 455001. **2. श्री ओमप्रकाश अग्रवाल, (सह-उधारकर्ता)** **3. श्री आशीष अग्रवाल, (सह-उधारकर्ता)** **क्र.सं. 2 एवं 3 का निवास :** संख्या 102, मधुबन कॉलोनी, पेट्रोल पंप के पीछे, देवास, मध्य प्रदेश - 455001. **4. श्री हरीश अग्रवाल, (सह-उधारकर्ता)** संख्या 158, मधुबन कॉलोनी, मनोज किराना के पास, देवास, मध्य प्रदेश - 455 001.	12.12.2023 को रु. 2,99,02,590/- रुपये दिनांक 12.12.2023 तक, साथ ही उस पर लगने वाला अतिरिक्त ब्याज, शुल्क और लागत।	परिवर्तित वाणिज्यिक भूमि के सभी हिस्से और अंश, जिसका क्षेत्रफल 0.6300 हेक्टेयर (6300 वर्ग मीटर) है, जो सर्वेक्षण संख्या 112/2/2 में, ग्राम : दुर्गापुरा, तहसील एवं जिला देवास में स्थित है, जिसकी चतुर्सीमाएँ निम्नानुसार हैं : उत्तर : रमेश कुमावत की भूमि, दक्षिण : रमेश कुमावत की भूमि, पूर्व : आकाश पटेल की भूमि, पश्चिम : प्रधानमंत्री मार्ग।	रु. 2,00,00,000/- रु. 20,00,000/- रु. 1,00,000/-

ई-नीलामी दिनांक एवं समय : 20.05.2026 - प्रातः 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक (प्रत्येक 3 मिनट के असीमित विस्तार सहित)
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि : 19.05.2026, संपत्ति निरीक्षण दिनांक : पूर्व-निर्धारित समय के अनुसार

1. सभी इच्छुक प्रतिभागियों/बोलीकर्ताओं से अनुरोध है कि वे वेबसाइट : **https://bankauctions.in/** एवं **https://www.cholamandalam.com/auction-notices** पर विजिट करें। ई-नीलामी के विवरणों, सहायता, प्रक्रिया एवं ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु संभावित बोलीकर्ता यहाँ संपर्क कर सकते हैं : **श्री मुहम्मद रहीस - 8124000030/6374845616, Ms.4 Closure.; सुश्री रेखा - 8142000062, ईमेल: CholaAuctionLAP@chola.murugappa.com**
2. नियमों व शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया **https://bankauctions.in** पर, एवं ई-नीलामी में भाग लेने के लिए **www.cholamandalam.com/news/auction-notices** पर विज़िट करें।

यह प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1), नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत वैधानिक 15 दिवसीय विक्रय सूचना भी है।

दिनांक: 30.04.2026
स्थान: मध्य प्रदेश
अधिकृत अधिकारी
चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फ़ायनांस कम्पनी लिमिटेड

मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

MAS FINANCIAL SERVICES LTD. EXCELLENCE THROUGH ENDEAVOURS

छठी मंजिल, नारायण चैंबर्स, पतंग होटल के पीछे, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009, संपर्कः 079-41106500

मांग नोटिस

प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के अंतर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 3 के साथ पढ़ा जाए।

मैं, अधोहस्ताक्षरी, मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ("एमएफएसएल") का अधिकृत अधिकारी, एतद्द्वारा निम्नलिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गिरवीदारों को सूचित करता/करती हूँ, जो मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से लिए गए ऋण/ऋणों के लिए अपनी देनदारी निभाने में विफल रहे हैं, अर्थात मूलधन, ब्याज और अन्य शुल्कों के भुगतान में चूक कर चुके हैं। परिणामस्वरूप, ये ऋण 05.02.2026 को निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एन.पी.ए.) बन गए हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पढ़ा जाए, तो उधारकताओं/सह-उधारकताओं/गिरवीदारों को उनके अंतिम ज्ञात पते पर मांग नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें उनसे लिए गए ऋण सुविधाओं के तहत बकाया राशि का भुगतान करने का आह्वान किया गया था। हालांकि, ये नोटिस प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः, उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता(ओं)/गिरवीदारों को इस प्रकाशन नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे संविदात्मक दर पर ब्याज और आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि सहित ऋण सुविधा की बकाया राशि का भुगतान करें।

ऋणकर्ता और सह-ऋणकर्ता, गारंटर का नाम	बंधक संपत्ति का विवरणः-	ऋण खाता संख्या बकाया राशि	मांग सूचना की तिथि सूचना चिपकाने की तिथि
मेसर्स ऑटो मेंट सिस्टम्स (मालिक श्री नवीन व्यास के माध्यम से) (आवेदक) श्री नवीन मदन लाल व्यास (सह-आवेदक और गारंटर) श्रीमती योगिता नवीन व्यास (सह-आवेदक और गारंटर) श्री विनोद कुमार मदन लाल व्यास (सह-आवेदक और गारंटर)	गिरवीदार/कार्यकारी का नामः- श्री विनोद कुमार व्यास पुत्र श्री मदन लाल व्यास गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरणः- सर्वे संख्या 244/4, श्रीराम कॉलोनी, ग्राम बन्नाखेड़ा (जवरा), तहसील जवरा, जिला रतलाम (मध्य प्रदेश) में स्थित अचल संपत्ति का वह भाग, जो भूखंड संख्या 4 है और जिसका क्षेत्रफल 1500 वर्ग फुट है। पंजीकृत विक्रय विलेख श्री नानूराम पुत्र श्री कचरूजी द्वारा श्री विनोद कुमार पुत्र श्री मदनलालजी व्यास के पक्ष में निष्पादित किया गया है। यह विलेख उप-पंजीयक कार्यालय, रतलाम में पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 1ए/1997/03 दिनांक 20-01-2003 को श्री विनोद कुमार पुत्र श्री मदनलालजी व्यास के पक्ष में पंजीकृत किया गया था। विक्रय विलेख के अनुसार इसका क्षेत्रफल 1500 वर्ग फुट है और इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः प्लॉट संख्या 5, पश्चिमः प्लॉट संख्या 3, उत्तरः कॉलोनी रोड, दक्षिणः प्लॉट संख्या 11।	ऋण खाता संख्याः 5792997 रू. 1,00,49,024/-	दिनांक : 05.04.2026 दिनांक : 27.04.2026

यह कदम नोटिस की वैकल्पिक तामील के लिए उठाया जा रहा है। उपरोक्त उधारकताओं और/या सह-उधारकताओं/गारंटरों को सलाह दी जाती है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि, भविष्य के ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत आदि का भुगतान कर दें; अन्यथा (मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना) प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार गिरवी रखी गई परिसंपत्तियों/बंधक संपत्ति को जब्त करने की आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
उपरोक्त नामित पक्षों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे उन संपत्तियों का हस्तांतरण, विक्रय, पट्टा या तृतीय पक्ष हित उत्पन्न न करें जिन पर मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का प्रभार है।

दिनांकः 30.04.2026
स्थानः रतलाम
अधिकृत अधिकारी, मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के लिए

वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड

WONDER HOME FINANCE Zindagi Ki Perfect Shuruaat

(CIN No. U65999RJ2017PLC059619)
कॉर्पोरेट ऑफिस : 620, छठवीं मंजिल, नॉर्थ ब्लॉक, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, मालवीय नगर, जेएलएन रोड, जयपुर- 302017, टेलीफोनः 0141- 4750000

परिशिष्ट IV [देखें नियम 8(1)] कब्जा नोटिस

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए षवित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002ष(2002 का 54) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 13 (12) का सपठित नियमों के नियम 3 के तहत प्रदत शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणियों को मांग सूचना पत्र निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्गमितकर तालिका में राशि 60 दिवस के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

ऋणी / सहऋणी / बंधककर्ता / गारन्टर / ऋण खाता संख्या	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	स्थावर सम्पत्ति का विवरण	कब्जे की तारीख
(ऋण खाता संख्या) LN20089HP23-24017859, श्रीमती लता कदम पत्नी श्री परसाराम कदम (ऋणी), श्री परसाराम कदम पुत्र अम्बाराम (सहऋणी)	16-02-2026 Rs. 16,63,986/- सोलह लाख तिरेसठ हजार नौ सौ छियासी रूपये मात्र 12-02-2026 तक	श्रीमती लता कदम की रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित सर्वे नं. 42/1/1, प्लॉट नं. 244 एवं प्लॉट नं. 245-बी, पटवारी हलका नं. 37 ग्राम कालीबिलोद, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर, मप्र 453001, क्षेत्रफल 600 वर्गफीट, उत्तरः प्लॉट नं. 245-बी, दक्षिणः प्लॉट नं. 245, पूर्वः प्लॉट नं. 218, पश्चिमः रोड	27-04-2026
(ऋण खाता संख्या) LN20062HE23-24017196 & LN20062TU24-25024498, श्री अशोक पाटीदार पुत्र श्री बाबू लाल जी पाटीदार (ऋणी), श्रीमती नर्मदा पाटीदार पत्नी श्री अशोक कुमार पाटीदार (सहऋणी)	16-02-2026 Rs. 9,74,667/- नौ लाख चौहत्तर हजार छः सौ सडसठ रूपये मात्र एवं Rs. 9,26,102/- नौ लाख छब्बीस हजार एक सौ दो रूपये मात्र 10-02-2026 तक	श्री अशोक पाटीदार पुत्र श्री बाबू लाल जी पाटीदार एवं श्रीमती नर्मदा पाटीदार पत्नी श्री अशोक पाटीदार की रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित सर्वे नं. 14/1/2, पीएच नं. 28 ग्राम अदवानिया, तहसील सैलाना, जिला रतलाम, मप्र क्षेत्रफल 457550, क्षेत्रफल 2152 वर्गफीट, उत्तरः स्वयं की भूमि, दक्षिणः रोड, पूर्वः श्री अंकित की भूमि, पश्चिमः श्री भरत की भूमि	27-04-2026
(ऋण खाता संख्या) LN20062HC24-25022039, श्री ईश्वर प्रजापत पुत्र श्री नानू राम प्रजापत (ऋणी), श्रीमती ज्योति बाई पत्नी श्री ईश्वर प्रजापत (सहऋणी)	16-02-2026 Rs. 12,72,112/- बारह लाख बहत्तर हजार एक सौ बारह रूपये मात्र 10-02-2026 तक	श्री ईश्वर प्रजापत पुत्र श्री नानू राम प्रजापत एवं श्रीमती ज्योति बाई पत्नी श्री ईश्वर प्रजापत की रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित मकान नं. 256, पीएच नं. 17, ग्राम घीनोदा, तहसील खचरोद, जिला उज्जैन, मप्र 456224, क्षेत्रफल 960 वर्गफीट, उत्तरः रोड, दक्षिणः भरत लाल पाटीदार का मकान, पूर्वः श्रवण कुमार का मकान, पश्चिमः श्री श्रवण कुमार का मकान	27-04-2026
(ऋण खाता संख्या) LN20041HC22-23007878 & LN20041TU23-24014864, श्री मेहरवान सिंह पुत्र श्री प्रहलाद सिंह (ऋणी), श्रीमती संतोष पत्नी मेहरबान सिंह (सहऋणी), श्री संदीप खीची पुत्र भगवान सिंह (गारंटर)	16-02-2026 Rs. 7,13,407/- सात लाख तेरह हजार चार सौ सात रूपये मात्र एवं Rs. 4,66,492/- चार लाख छियासठ हजार चार सौ बानवे रूपये मात्र 10-02-2026 तक	श्री मेहरवान सिंह पुत्र श्री प्रहलाद सिंह की रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित पीएच नं. 83, भूमि सर्वे नं. 214 का भाग, प्लॉट नं. 183, मकान नं. 82, ग्राम एवं ग्राम पंचायत कंवली खेडा, तहसील तराना, जिला उज्जैन, मप्र 456550, क्षेत्रफल 2560 वर्गफीट, उत्तरः बलराम की भूमि, दक्षिणः रोड, पूर्वः बलराम का मकान, पश्चिमः बाबू लाल का मकान	27-04-2026

ऋणियों द्वारा वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणियों को तथा सामान्यजन को एतद् द्वारा सूचना दी जाती हैं कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा सपठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों के अनुप्रयोग में उपरोक्त तालिका में वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा ग्रहण कर लिया है। ऋणियों का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8)के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है। ऋणियों को विशिष्टतया और सर्व साधारण को सामान्यतया एतद द्वारा सम्पत्तियों के साथ काई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती हैं और सम्पत्ति के साथ कोई व्यवहार उपरोक्त तालिका में वर्णित राशि तथा आगे का ब्याज एवं कुल भुगतान होने तक ''वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड''के प्रभार के अधीन होगा।

दिनांकः 29.04.2026
स्थानः इन्दौर, मप्र
प्राधिकृत अधिकारी
वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड